

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Fair enough.
Now, Shri Arjun Singh.

CLARIFICATIONS BY MINISTER

Points raised by some Members relating to some books published by NCERT

मानव संसाधन विकास मंत्री(श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या संरचना-2005 के तहत तैयार की गयी कतिपय पाठ्यपुस्तकों के संबंध में कुछ आपत्तियां उठायी हैं। मैंने प्रत्येक आपत्ति की ब्यौरेवार जानकारी लेने की कोशिश की है। इस क्रम में मैंने पाया है कि हर विषय में किसी वाक्य, खंड अथवा शब्द को उसके संदर्भ से हटाकर देने के लिए पढ़ा गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य-पुस्तकें अत्यधिक संवेदनशीलता से और ध्यानपूर्वक तैयार की गई हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शुरू से ही अपने कार्य में प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों और शिक्षाशास्त्रियों को शामिल किया है। प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक की सम्पूर्ण जांच केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय मॉनिटरिंग समिति करती हैं, जिसमें प्रो. लाल मिरी, पूर्व कुलपति, अध्यक्ष और प्रख्यात संविधान वैज्ञानिक डा. जी.टी. देशपांडे, सह अध्यक्ष-राष्ट्रीय मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों में शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, केरल, नागालैंड और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय मॉनिटरिंग समिति को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित करने का निर्देश है कि पाठ्य-पुस्तकों को भारत के संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। इस मुद्दे पर जो विवाद पैदा किया गया है, मैं सही रूपांतर प्रस्तुत करते हुए उठाई गई प्रत्येक आपत्ति पर सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को, उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों के क्रम में ही उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

सर्वप्रथम, मैं श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर दूंगा।

श्री प्रसाद ने कहा कि हम कक्षा एक, दो, तीन, चार, पांच के बच्चों को असंवैधानिक भाषा की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जिन पाठ्य-पुस्तकों के बारे में आपत्ति की है, वे कक्षा दो, सात, आठ, नौ, दस में पढ़ाई जा रही हैं। उनकी जानकारी हेतु इस संबंध में तथ्यपरक स्थिति यह है कि कक्षा दो, चार, पांच, सात, आठ तथा दस की इस वर्ष हिंदी पाठ्य-पुस्तकों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद(बिहार): हमने पुस्तक रखी है हाउस के पटल पर।

श्री अर्जुन सिंह: सुन तो लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद(बिहार): एक बार पढ़ तो लीजिए । ...**(व्यवधान)**...सारी पुस्तकें हाउस में रखी गई हैं । ...**(व्यवधान)**...ये गलत बोल रहे हैं । ...**(व्यवधान)**... Don't mislead the House. ...*interruptions*)... Don't mislead the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Ravi Shankarji, let the hon. Minister finish it. ...*interruptions*)... Let him finish. ...*(Interruptions)*... Let him finish, at least. ...*interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: No, Sir, he cannot mislead the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): In the morning, you asked for clarifications. ...*interruptions*)... Let him finish now. I think you should let him finish. ...*interruptions*)...

SHRI ARJUN SINGH: This is the problem, Sir. इनको बात सुनने की ...*interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): ! think you should let the hon. Minister give his clarification. After that ...*interruptions*)... Nothing is going on record. ...*interruptions*)...

श्री रवि शंकर प्रसाद:*

श्री अर्जुन सिंह: मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ । ...**(व्यवधान)**...आप सुनिए तो सही । ...**(व्यवधान)**...

डा.मुरली मनोहर जोशी(उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी.....

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): डा.जोशी,मैं एक बात कह लूँ ?Just one minute please. ...*interruptions*)... I understand your sentiments. ...*interruptions*)... I fully appreciate it. ...*interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: He must withdraw that. ...*(fttfer/t/pf/ons)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I am on my legs. ...*interruptions*)... I am on my legs. I would just request the hon. Member, we have asked the hon. Minister to give clarifications. I think you should let him finish. Then, I will give you the opportunity to speak. Please, Mr. Minister.

* Not recorded.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: But, he should not mislead the House. ...*(Interruptions)*...

डा.मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मुझे इतना ही कहना है कि जिस संदर्भ में सवाल उठाए गए थे, उन पुस्तकों का संस्करण सामने रख दिया गया है। ...*(व्यवधान)*... मेरा निवेदन है कि ...*(व्यवधान)*...

श्री अर्जुन सिंह: जोशी जी, मैं किन पुस्तकों की बात कर रहा हूँ ? ...*(व्यवधान)*...

डा.मुरली मनोहर जोशी: मेरा निवेदन है कि वे पुस्तकें इस वर्ष भी पढ़ाई जा रही हैं। पिछले वर्ष भी अगर पढ़ाई जा रही थी और इस वर्ष भी पढ़ाई जा रही हैं, हो सकता है परिवर्तन नहीं किया गया हो पिछले साल, लेकिन वे पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, संदर्भ उनका है।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Joshiji, that is your problem. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I think, after the Minister's reply, things may be clear. So, I think we should give him the opportunity to reply. Thank you. Mr. Minister, please.

श्री अर्जुन सिंह: मैं यह कह रहा था कि कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के बच्चों को असंवैधानिक भाषा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, यह आपका आरोप है। यही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि कक्षा 2, 5, 7, 9 और 10 में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, इनके संबंध में तथ्यपरक स्थिति यह है कि कक्षा 2, 4, 5, 7, 8 और 10 में इस वर्ष हिन्दी पाठ्यपुस्तक में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): इस वर्ष का क्या मतलब है?

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): आप उनको खत्म करने दीजिए ...*(व्यवधान)*... Please, let him finish, you can't carry on like this, please let him finish. आप बाद में पूछ लीजिए ...*(व्यवधान)*... डा. साहब, आप मंत्री जी को पूरा करने दीजिए, बाद में हम सबको opportunity है ...*(व्यवधान)*...

डा.मुरली मनोहर जोशी: इन पाठ्यपुस्तकों में इस वर्ष परिवर्तन किया गया है, यह नहीं कहा गया था, बल्कि यह कहा गया था कि इन पुस्तकों में जो पढ़ाया जा रहा है ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Mr. Minister, please, you speak.

श्री अर्जुन सिंह: अतः जो पुस्तकें पहले NDA शासन के दौरान पढ़ाई जा रही थीं, वहीं पुस्तकें अभी तक चल रही हैं ...*(व्यवधान)*... हालांकि इन पुस्तकों के पुनर्मुद्रण प्रकाशित करने से पूर्व, इनकी त्वरित समीक्षा की गई है। प्रत्येक मामले में माननीय सदस्य ने किसी साहित्यिक कृति से हटकर, किसी पंक्ति या किसी शब्द को उद्धृत किया है। माननीय सदस्य को

निश्चय ही यह बात मालूम होगी कि किसी भी साहित्यिक रचना के अभिप्राय को तभी समझा जा सकता है, जब उसे संपूर्णता में देखा जाए। कक्षा 11 में वैकल्पिक हिन्दी के रूप में शामिल की गई हमारी नयी पुस्तक "अंतरा" में शामिल कविता "मोचीराम" के प्रति माननीय सदस्य ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। श्री धूमिल द्वारा रचित इस कविता में एक मोची ने सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। इस कविता में यह उल्लेख किया गया है कि व्यापारीकरण ने मनुष्य को मात्र खरीद-फरोख्त की वस्तु बना दिया है। इस कविता को दबे, कुचले लोगों की आवाज को महत्व प्रदान करने के लिए हिन्दी की विशिष्ट कविता माना गया है। इस कविता को 1977 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की "चयनिका" पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया था। उस समय यह पाठ्यपुस्तक 10 वर्षों तक लागू रही थी। श्री धूमिल नयी कविता के विख्यात कवि थे और उन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।

दूसरी आपत्ति श्री पांडे बेचन शर्मा "उग्र" की आत्मकथा के इस अंश के प्रति है, जिसमें आज़ादी से पहले मिर्जापुर में बिताए गए उनके बाल्यकाल से संबंधित सामाजिक बुराइयों को दर्शाया गया है। श्री पांडे बेचन शर्मा "उग्र" अपने आपको निम्न जातियों से जोड़कर देखते थे, यद्यपि वे ब्राह्मण थे। यह अंश उस किताब से लिया गया है, जिसे हिन्दी में लिखी गई अब तक की सभी आत्मकथाओं में प्रथम आत्मविश्लेषी आत्मकथा माना जाता है। श्री "उग्र" का जन्म 1900 में और मृत्यु 1967 में हुई। उनके द्वारा रचित कई रचनाएं देश भर में हिन्दी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जा रही हैं।

तीसरी रचना जिसके प्रति आपत्ति की गई है, वह श्री ओम प्रकाश बाल्मीकि, जो स्वयं एक दलित हैं तथा समकालीन हिन्दी में दलित साहित्य के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा रचित कहानी "खानाबदोश" है। उनकी आत्मकथा का हाल ही में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है। "खानाबदोश" के शाब्दिक अर्थ से सभी परिचित हैं, लेकिन इस विशेष कहानी का शीर्षक एक प्रतीक है। उन मजदूरों के वास्तविक जीवन दशाओं का, जो जहां-तहां टिककर ईंट के भट्टों पर काम करते हैं। श्री ओम प्रकाश बाल्मीकि ने उन जोखिम भरी दशाओं का चित्रण किया है, जिनमें वे मजदूर रहते हैं और उनके मालिक की उस भाषा के नमूने का भी चित्रण किया है, जिसे अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, वे प्रतिदिन सहने के लिए मजबूर होते हैं। पृष्ठ 74 पर प्रयोग में लाए गए जातिसूचक शब्द के बारे में पाठ्यपुस्तक में footnote देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यह शब्द असंवैधानिक है। और अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री ओम प्रकाश बाल्मीकी द्वारा लिखित उस कहानी को हिन्दी में समकालीन दलित लेखन के एक उदाहरण के रूप में लिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् विद्यार्थियों को भाषा और आचरण के मामले में मार्गदर्शन देने में एक शैक्षिक संस्था के रूप में अपनी भूमिका के प्रति पूर्णतया सचेत हैं।

माननीय सदस्य ने एक और जिस कहानी के विरुद्ध अपनी आपत्ति की है, वह मुंशी प्रेमचन्द की है, जिनकी 125वीं जयन्ती हाल ही में देश भर में मनाई गई है-द्वारा रचित "दूध का दाम" है। मुंशी प्रेमचन्द्र जी भारत के 20वीं शताब्दी के महानतम कहानीकारों और उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। "आरोह" पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी इससे पहले 1985 में प्रकाशित "कहानी संचयन" नामक पाठ्य पुस्तक में पढ़ाई जा रही थी और पांच वर्षों तक पढ़ाई जाती रही, किन्तु इससे कभी भी विवाद पैदा नहीं हुआ। मुंशी प्रेमचन्द्र के अन्य साहित्य की तरह

ही इस कहानी में सामाजिक यथार्थ के अंतर्विरोधों का उल्लेख किया गया है। मुंशी प्रेमचन्द्र ने सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हुए उक्त संदर्भ में जाति सूचक अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है। मुंशी प्रेमचन्द्र की साहित्यिक गरिमा को देखते हुए उनके पाठ से छेड़छाड़ करना गलत होगा। फिर से एक बार हम यह पाते हैं कि माननीय सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इस कहानी से एक पंक्ति उद्धृत करके भ्रामक निष्कर्ष निकाला है, जबकि बच्चों को साहित्य पढ़ाने का उद्देश्य किसी भी रचना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने में उन्हें सक्षम बनाना है। और फिर मुंशी प्रेमचन्द्र जी के बारे में मैं कोई विश्लेषण करूँ, उनके साहित्य की आलोचना करूँ, मुझमें यह क्षमता नहीं है। इसलिए मैं इसके आगे और कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ।

माननीय सदस्य ने आधुनिक पंजाबी भाषा के प्रतिष्ठित कवि श्री अवतार सिंह पाश द्वारा रचित कविता के विरुद्ध भी आपत्ति की है। उनकी कविता "सबसे खतरनाक" को कक्षा 11वीं की आधार पाठ्य पुस्तक "आरोह" में शामिल किया गया है। इस कविता के जरिए कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जनता की खामोशी लोकतांत्रिक मूल्यों और संवेदनशीलता के लिए खतरनाक है। पाश की कविताएं सामाजिक असमानताओं तथा कटुता के प्रति उनकी गहरी चिन्ता को परिलक्षित करती हैं। इस पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि वे 1967 में बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े रहे। उन दिनों बहुत से युवा इस आन्दोलन की ओर उन्मुख हुए। पाश का आदर्शवाद इस कविता की एक पंक्ति से स्पष्ट है, जो मैं उद्धृत करना चाहूँगा, "सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना।" मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि पाश युवा वर्ग की उस आकांक्षा की आवाज़ बुलन्द करना चाहते हैं, जो एक आदर्श राष्ट्र से सम्बन्धित है। यह पाठ्य पुस्तक पाश की निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत करके आदर्श राष्ट्रवाद की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं, "भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए, बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं।" पाश की हत्या 1988 में पंजाब में अलगाववादी उग्रपंथियों द्वारा की गई थी। इसलिए यह आवश्यक है कि इस संदर्भ में विद्यार्थीगण साहित्य का अध्ययन करें।

चन्द्र माननीय सदस्य द्वारा उद्धृत पंक्ति "सरकारी नोट की मुट्टी खतरनाक नहीं होती" इस कविता में शामिल ही नहीं है। यह पंक्ति जो कही गई, "सरकारी नोट की मुट्टी खतरनाक नहीं होती" इस कविता में शामिल है ही नहीं। मुझे आशा है कि यह केवल मात्र टंकण सम्बन्धी अशुद्धि है, न कि माननीय सदस्य द्वारा जान-बूझ कर दिया गया कोई गलत उदाहरण है।

माननीय सदस्य ने जगदीश चन्द्र माथुर द्वारा रचित "रीढ़ की हड्डी" नामक एकांकी के प्रति भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: लेकिन इस किताब में यह शब्द लिखा हुआ है। जो आफिसर्स लिख कर दें, आप उसे मत पढ़ा करिए। आप गलत बोल रहे हैं, प्लीज आप गलत बोल रहे हैं। यह शब्द लिखा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): उनको बताने दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: एक-एक तथ्य गलत बोल रहे हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: क्या बोल रहे हैं आप ?

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): मंत्री जी, Please carry on. मुझे लगता है कि पहले मंत्री जी को बोलने दीजिए, मैं आपको फिर चांस दूंगा। मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह: इस एकांकी में अपने भावी ससुराल वालों को बहू के रूप में बालिका को दिखाने की परम्परा का चित्रण किया गया है। अर्थात् लेखक स्त्री को अपनी नियति का निर्धारण करने का अधिकार रखने वाले मुख्य चरित्र के रूप में चित्रित कर के उन की गरिमा को दर्शाता है। यह एकांकी भारत के संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित स्त्री-पुरुष समानता के उद्देश्य को पूरा करती है। एक एकांकी 1967 में प्रकाशित की गयी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तक एकांकी संकलन का भी भाग थी और 10 वर्षों तक इस को पढ़ाया गया। अब इस एकांकी को पुनः लागू किया गया है क्योंकि इसकी सामाजिक प्रासंगिकता अभी बनी हुई है। माननीय सदस्य ने एक बार फिर इस एकांकी के एक चरित्र के कथन को व्यक्त किया है, परंतु उस के उत्तर की महत्ता के बारे में वह चुप्पी साधे हैं। अंत में, माननीय सदस्य द्वारा इस नाटक से उद्धृत किए गए प्रश्न तथा उस के उत्तर, दोनों का उल्लेख करना चाहता हूँ। पात्र प्रेमा हैं।

प्रेमा: तुम्हीं ने तो कहा कि जरा ठीक-ठाक कर के नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम-टीम के भला कौन पूछता है।

उमा: अब मुझे यह कह लेने दीजिए, बाबूजी। यह जो महाशय मेरे खरीददार बनकर आए हैं, इन से जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन को चोट नहीं लगती? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाम-तौल कर रहे हैं।

अब तक यह इस माननीय सदन के समक्ष स्पष्ट हो चुका होगा कि इस एकांकी में हमारा ध्यान स्त्री-पुरुष असमानता की ओर आकृष्ट किया गया है, जो हमारे देश में व्याप्त हैं। यह एक एकांकी की मुख्य महिला के पात्र को एक आत्म-विश्वासपूर्ण वाणी देता है। इस से हमारे बच्चे प्रेरित होंगे।

श्री प्रसाद ने प्रसिद्ध चित्रकार श्री मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा के कुछ अंश पर भी आपत्ति व्यक्त की है। हुसैन की कहानी, अपनी जुबानी को कक्षा 11 में अंतराल नामक अनुपूरक पाठ्य सामग्री में शामिल किया गया है। यह अंश हुसैन के बाल्यकाल से संबंधित है और उस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार उन में चित्रकला के प्रति अनुराग पैदा हुआ और कैसे उन्होंने सौंदर्य बोध संबंधी कौशलों को सीखा। इस पाठ्य पुस्तक में हुसैन की किसी भी विवादास्पद चित्रकला का उल्लेख नहीं है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि अमृता शेरगिल तथा नंदलाल बोस की आत्मकथाओं को हम ने क्यों नहीं शामिल किया? यह गौरतलब है कि इन दोनों चित्रकारों ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी है। उन की बायोग्राफी जरूर लिखी गयी है। यह भी गौरतलब है कि हुसैन की इस आत्मकथा का लाकार्पण भारतीय सौंदर्य बोध तथा संस्कृत के प्रमुख व्याख्याता स्वर्गीय श्री निर्मल वर्मा के हाथों हुआ था। माननीय सदस्य श्री प्रसाद ने प्रो. विपिन चंद्र द्वारा लिखित 12वीं की मॉडर्न इंडिया नामक पाठ्य पुस्तक का उल्लेख किया है। इस किताब को सर्वप्रथम 1970 के दशक में लागू किया गया था और 2002 तथा 2004 की अवधि को छोड़कर तब से इस के अनेक संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। यह पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संचालन, 2005 से पहले की है और केवल मार्च, 2007 तक ही

इस का उपयोग किया जाएगा। कक्षा 12 के लिए एक नई पाठ्यक्रम तैयार की जा रही है और अप्रैल, 2007 से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र में इसे लागू किया जाएगा।

माननीय सदस्य ने उस तरीके का भी उल्लेख किया है जिस में जाटों, गुरु गोविंद सिंह, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष और विपिन चन्द्र पाल का वर्णन इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि वर्ष 2000 से पहले की कक्षा 6 से 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का मामला इस समय माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के अधीन है- दीनाथाथ बत्रा और अन्य बनाम भारत संघ। उपरोक्त कोर्ट केस के संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने प्रो. के. एन. पाणिकर, प्रो. जे. एन. ग्रेवाल और प्रो. नयन ज्योति दाहिरी नामक इतिहासकारों की तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।

इसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई है। सदन यह भी जानना पसंद करेगा कि शैक्षिक सत्र 2007 से कक्षा 6, 9 और 11 के लिए इतिहास की नई पाठ्य-पुस्तकें पहले ही लागू कर दी गई हैं। माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि प्रोफेसर विपिन चन्द्र की पाठ्य-पुस्तक में श्री अरविंदो घोष, श्री लोकमान्य तिलक और श्री विपिन चन्द्र पाल को आतंकवादी बताया गया है। इन नेताओं को प्रोफेसर विपिन चन्द्र ने आतंकवादी नहीं कहा है, अपितु उन्हें उग्र राष्ट्रवादी कहा गया है, जो बीसवीं शताब्दी के पूर्व में राष्ट्रवादी आन्दोलन के गरमपंथी दल का चित्रण करने के लिए इतिहास की पुस्तकों में परम्परागत रूप से उपयोग किया गया है। बाद के अध्याय में प्रोफेसर विपिन चन्द्र ने उग्रवाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता हासिल करने में साधन के रूप में उल्लेख किया है। इस अंश के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मामले पर उपर्युक्त तीन सदस्यीय इतिहासकारों की समिति ने इस प्रकार उल्लेख किया है- “उग्रवाद और उग्रवादी शब्दों का प्रयोग अपमानजनक रूप में नहीं किया गया है। ऐतिहासिक घटनाओं की समकालीन धारणाओं के परिणामस्वरूप यह आपत्ति की गई है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इन शब्दों का अर्थ आज जैसा नहीं था। उग्रवाद अंग्रेजी शासन का विरोध करने के साधन के रूप में अपनाया गया था।”

जाटों के वर्णन के मामले पर इस समिति ने इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है- “जाट-कृषक विद्रोह का वर्णन भी अपमानजनक नहीं है। मध्यकालीन भारत के इतिहासकारों ने इस विद्रोह का ब्यौरा दिया है। मध्यकाल के दौरान आक्रमणों और विद्रोहों के बाद होने वाली लूट-पाट का आंशिक कारण यह भी था कि आक्राणकारी और विद्रोही अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे। जाट समुदाय के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है।”

गुरु गोबिन्द सिंह के बारे में उठाई गई तीसरी आपत्ति के बारे में समिति की यह राय थी कि “पाठ्य-पुस्तक में प्रयुक्त वाक्य को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।” नए पाठ्यक्रम के आधार पर इतिहास की नई पाठ्य-पुस्तक अप्रैल 2007 से लागू की जाएगी, जिसमें यह संशोधित किया जाएगा।

अब मैं माननीय सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज जी की आपत्तियों का उत्तर देना चाहूंगा। शाब्दिक रिकॉर्ड में यह दर्शाया गया है कि उनको श्री धूमिल द्वारा रची गई “मोचीराम” कविता में प्रयोग की गई भाषा पर शर्म महसूस होती है। उन्होंने यह भी कहा कि “कविता, कविता के नाम पर कलंक है।” यह दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सदस्यता ने उस कविता को कलंक कहा है, जिसे साहित्यिक समीक्षकों ने “समकालीन हिन्दी कविता में मील का पत्थर”

माना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कवि को मरणोपरांत साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था।

उन्होंने मुंशी प्रेमचन्द्र और ओमप्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित कहानियों में प्रयुक्त भाषा पर भी आपत्ति उठाई है। शायद माननीय सदस्या इस बात को नकारना चाहती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद हमारे संविधान में निहित सर्वोच्च मूल्यों अर्थात् सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका स्वर्गवास पर गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने उन्हें "रत्न" की संज्ञा दी थी। मैं माननीय सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज जी को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि श्री वाल्मीकि ने उभरते हुए दलित साहित्य के स्वरूप को दर्शाया है और वे स्वयं दलित थे। मैं पुनः यह दोहराना चाहूंगा कि वे हिन्दी के पहले दलित लेखक हैं, जिनकी रचनाओं का विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है।

श्री मती सुषमा स्वराज जी ने एम.एफ.हुसैन द्वारा बनाई गई तथाकथित नग्न तस्वीरों का भी उल्लेख किया है। वे जिन पेंटिंग्स का उल्लेख कर रही हैं, उन्हें पुस्तक में शामिल नहीं किया गया है।

अंत में माननीय सदस्या सुषमा जी ने स्वर्गीय जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी "रीढ़ की हड्डी" पर आपत्तियाँ उठाई हैं। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया कि यह एकांकी हमारे संविधान और हमारी शिक्षा-नीति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक हैं, अर्थात् यह महिलाओं की समानता और गरिमा को स्पर्श करता है। एकांकी को उसकी सम्पूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए, उसके हिस्सों के संदर्भ में पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा जा सकता।

माननीय डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने यह आरोप लगाया है कि हम बच्चों के मन में विद्वेष फैला रहे हैं। मैं उन्हें आश्चर्य करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 का उद्देश्य भारत के सभी समुदायों और क्षेत्रों को गौरवपूर्ण और सकारात्मक रूप से चित्रित करके राष्ट्रीय एकीकरण करना है।

मैं माननीय सदस्य श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, श्री अमर सिंह जी, श्री सीताराम येचुरी जी, श्री अवनि राय जी, श्री मंगनी लाल मंडल जी, श्री विजय दर्डा जी, श्री रुद्रनारायण पाणि जी, श्री राजीव शुक्ल जी, श्री एस.एस.अहलुवालियाजी, श्री राशिद अल्वी जी, प्रवीण राष्ट्रपाल जी, श्री विक्रम वर्मा जी, प्रा. कलराज मिश्र जी और इस विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को यह सूचित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भारत के विभिन्न भागों से सर्वोत्कृष्ट प्रख्यात विशेषज्ञों को शामिल करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के आधार पर नया पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकें तैयार की हैं। इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अपनी पाठ्य-पुस्तकों को संतुलित, तथ्यात्मक और सृजनात्मक बनाने का हर संभव प्रयास करेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक ऐसी शैक्षणिक संस्था है, जिसकी स्थापना विद्यालय शिक्षा में बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए की गई थी। हमने अपनी शैक्षणिक स्वायत्तता को बहाल किया, जिसमें नये पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के काम में विख्यात शिक्षा-शास्त्रियों और शिक्षाविदों को, बड़े समुदाय को शामिल करके महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

[24 August, 2006]

RAJYA SABHA

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी देश के अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, शासन का भी उन्हें लंबा अनुभव है, लेकिन मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने यह सदन में उठाई थी, अगर सदन की सर्वानुमति भावना का इन्हें थोड़ा भी ध्यान होता, तो शायद कई बातों को यह स्वयं मान लेते। मैंने इसे कभी इस दृष्टिकोण से नहीं उठाया था, शायद इस सदन में बहुत बड़ी बात हुई थी कि चाहे वामपंथी हों, कांग्रेस के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, सपा के लोग हों, सब लोगों ने एक तरह की बात कही थी और शायद यह बात भी माननीय मंत्री जी को नहीं लगी कि इतनी सर्वानुमति है, इसकी भी कोई चिंता की जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एकाध बात उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि एक दो जगह ऐसी बात नहीं कही गई है। मैंने एक पुस्तक सदन के पटल पर रखी थी। इसमें यह है आपकी "रिमझिम" पुस्तिका, यह पहली कक्षा के बच्चे के लिए कविता है, कक्षा-एक, पृष्ठ संख्या 23, पुस्तक मैं रख चुका हूँ, "आम की टोकरी" - छह साल की छोकरी, भरकर लाई टोकरी, टोकरी में है आम, दिखा-दिखा कर टोकरी, हमें बुलाती छोकरी। अब यह पहली क्लास के बच्चे को छोकरी सिखा रहे हो। यह प्रथम संस्करण है। देखिए, एक बात जान लें, इनके विद्वान लोग डी.लिट., करें, पीएच.डी. करें, साहित्य में अमरत्व प्राप्त करें, साहित्य अकादमी प्राप्त करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी आपत्ति है स्कूलों के बच्चों के लिए पहली क्लास, दूसरी, छठी, आठवीं, नवीं क्लास के बच्चों की इम्प्रेसनेबल एज हैं, और उसको हम यह पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है? यह जो बार-बार कह रहे हैं कि उनको साहित्य अकादमी मिला, लेकिन मौलिक सवाल यह है कि किस वर्ग के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोकरी, टोकरी, रामनामी बेचना और रंडी की दलाली करना? मैं यह असंवैधानिक बोल रहा हूँ, लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, आप यह तय करें कि जो सदन में बोलना असंवैधानिक है, वह बच्चों के लिए संवैधानिक कैसे होगा? यह मैं एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ। जिस को बोलने में हमें शर्म आ रही है - ब्राह्मण कहीं कहीं के, चमार कहीं के, भंगी अपना मुंह नहीं दिखाओं, वे बड़े साहित्यकार होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। प्रेम चंद्र जी ने बहुत रचनाएं की हैं - "नमक का दरोगा", और भी बाकी, वह भी हम पढ़ा सकते थे। धूमिल को साहित्य अकादमी मिला होगा, लेकिन मौलिक सवाल यह है कि बच्चों के लिए यह क्यों जरूरी है?

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने एक बात कही थी कि मंत्री जी को जो बनाकर दे दिया गया, वह उन्होंने पेश कर दिया। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसके पेज 18 पर जाट रिवोल्ट को लुटेरा कहा गया है, प्लंडरर्स, क्या मतलब है? मोडर्न इंडिया, विपिन चन्द्रा, मैं इनको क्लैरिफाई कर दूँ कि एनडीए की सरकार ने इस किताब को विदग्ध कराया था, तो ठीक विदग्ध कराया था। इसमें देश को तोड़ने वाली बात कही गई है और इसकी प्रीफेस में लिखा हुआ है - "This book was reintroduced in keeping with the decision of the Executive Committee of the N.C.E.R.T. to reintroduce the 'Modern India' by Shri Bipin Chandra." इसको 2005 में इंटरोड्यूस किया गया। इन्होंने माना कि गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ गलत कहा गया, लेकिन यह कितनी पीड़ा की बात है, बहुत गंभीर बात है, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि उनको मिलिटेंट कहा गया। अगर माननीय मंत्री जी स्वयं थोड़ा सा पढ़ लेते, तो इसका एक चेप्टर है, चेप्टर-11, जिसमें देश के सारे अपने बहुत नेता, विपिन चन्द्र पाल, अरबिन्दो घोष, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, इन सबकी चर्चा की गई,

लेकिन उन्होंने एक ही बात पढ़ी-

"The Leadership of the anti-partition movement soon passed to militant nationalists like Shri Tilak, Shri Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh पंजाब में मिलिटेंसी हैं, कश्मीर में भी मिलिटेंसी हैं, तो इनको मिलिटेंट कहन का-श्री लोकमान्य तिलक को, श्री अरविन्दो घोष को, क्या मतलब हैं ? उनकी मूर्ति लगाई गई है दो दिन पहले संसद में और हम उनको मिलिटेंट कह रहे हैं, यह बच्चों को पढ़ा रहे हैं । क्या मतलब हैं इसका ?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा होम वर्क करके आते । On page 200, it is said, "Terrorism too gradually petered out. But, terrorists did make a valuable contribution." उनको टेरेरिस्ट कहा गया, इसी चैप्टर 11 में और सबसे पीड़ा की बात है, इसके पेज 265 पर, जिसको पढ़ने के बाद तो बहुत ही दुख लगा । नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के सबसे बड़े सहयोगी थे रास बिहारी बोस, अभी इस पर बहस होने वाली है, रास बिहारी बोस के बारे में क्या कहा गया- "He was assisted by Shri Rash Behari Bose, an old terrorist revolutionary". क्या मतलब है इसका ? हम देश के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ? श्री लोकमान्य तिलक, श्री राम बिहारी बोस, श्री बिपिन चन्द्र पाल, श्री अरविन्दों घोष, इन्होंने देश के लिए जीवन होम कर दिया, उनकी हम मूर्ति लगाते हैं, उनके जन्मदिन पर सेंट्रल हॉल के उनकी मूर्ति को माला पहनाते हैं और बच्चों को हम इन्हें टेरेरिस्ट बता रहे हैं, जबकि टेरेरिज्म के चलते आज इतने लोग मारे जा रहे हैं ।

श्री अर्जुन सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: नहीं, पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप बैठ जाइए ।

श्री मती सुषमा स्वराज(मध्य प्रदेश): इनको अपनी बात कहने दीजिए । हमने आपको बिल्कुल शांति से सुना है, अब जिन-जिन के नाम लिए हैं, उनसे सुन लीजिए ।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं और यह बात बहुत गंभीर है । मैं कभी मंत्री जी, NCERT, CBDT या UGC के, किसी के अधिकार को चुनौती नहीं देता । बड़ों को पढ़ाना है, D.Lit. कराना है, Ph.D. कराना है, जो कराना है, कराए, लेकिन मेरा मौलिक सवाल था कि देश के भविष्य के साथ यह क्या हो रहा है, उन्हें हम कौन सी भाषा पढ़ा रहे हैं ? क्या 8वीं, 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा "धूमिल" की कविता पढ़कर उसके संदर्भ को समझने की कोशिश करेगा ? लेकिन, कहीं उसे हरिद्वार, ऋषिकेश या काशी में कोई राम-नामी ओढ़े दिखाई पड़ेगा, तो उसके मन से यही निकलेगा कि राम-नामी ओढ़ने में और रंडी की दलाली करने में कोई फर्क नहीं है । सवाल यह मौलिक है और मैं कोई जाति की बात नहीं करता, उसमें लिखा हुआ है । मैं फिर क्षमा चाहता हूं कि जो चीज सदन के लिए असंसदीय है, वह बच्चों के लिए कैसे मर्यादित है । उसमें लिखा हुआ है-ब्राह्मण जाति जब ब्रह्म राक्षस बनकर चरण पुजवाने का कमीना काम करने लगी । यह कौन सा संदर्भ है, यह बार-बार जो कह रहे हैं कि संदर्भ में जाकर कहा जा रहा है ?

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं । आप बुजुर्ग हैं, 75 की उम्र पार कर चुके हैं । आने वाला भविष्य भी कमी आपको आंकेगा । सरकारें आती हैं, जाती हैं,

NCERT के तथाकथित विद्वान, समीक्षक आते हैं, जाते हैं और कभी हमारी सरकार आएगी तो ऐसे समीक्षकों के लिए कोई जगह नहीं रहने वाली है, यह भी मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन, एक बड़ा सवाल है कि अगर उस दिन इस हाऊस में एकमत था, तो एक बार तो भविष्य के प्रति आपको अपने दायित्व को भी समझना चाहिए था और आज मुझे बड़ी पीड़ा से कहना पड़ता है कि भविष्य के प्रति अपने दायित्व को समझने में आज आप फेल हो गए हैं। यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। अगर आपने दायित्व को समझा होता तो श्री अरविन्दों धोष को निलिटेड टेरेरि आपकी बातें गगाधर तिलक मिलिंदर कह स्ट कहे जाने को जस्टिफाई नहीं करते। आपने जस्टिफाई किया है, वह भी एक पैराग्राफ पढ़कर, जबकि चैटर 11 का मैंने कन्क्लूजन पढ़ दिया कि इनको टेरेरिस्ट कहा गया, श्री रास बिहारी बोस को टेरेरिस्ट रेवोल्यूशनरी कहा गया। माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा इतिहास पढ़ते, हम सुनाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कहा गया। माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा इतिहास पढ़ते, हम सुनाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी याद करिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पेरिस में गिलोटिन में लोगों को मारा जाता था, लेकिन आज तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के किसी भी इतिहासकार ने उनको टेरेरिस्ट नहीं कहा, **they are known as French Revolutionaries** और इसी रूप में उन्होंने अपने इतिहास सको जीवंत रखा है। यह तो नजरिया है। कुछ लिखने वाले लोग यह समझते हैं कि ऐसे लोगों को देशभक्त बनाकर पेश किया जाएगा, तो शायद उनकी समझदारी समाज में व्यापक नहीं होगी।

इसलिए, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आपका उत्तर गलत है। एक बार आप बच्चों के प्रति अपने दायित्व को समझिए और इसे विद्वद्ग करिए, जो सदन का आग्रह था, यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ।

डा. मुरली मनोहर जोशी: उपसभाध्यक्ष जी, बहुत सी बातें श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने कहीं, मैं उसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जोड़ना चाहता हूँ। इसी अंतराल पुस्तक में एक एकांकी, जिसका आपने जिक्र किया, उसमें एक बात लिखी गई है कि—गोपाल जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालता है और सिगरेट सुलगाता है। आगे है—गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर... इत्यादि, इत्यादि।

एक तरफ सरकार की घोषित नीति है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न किया जाए, धूम्रपान की प्रवृत्ति को रोका जाए, लेकिन पाठ में आप उन सारी बातों को पढ़ा रहे हैं, जिससे बालकों में धूम्रपान के प्रति रुचि जाग्रत हो, उनको उसके प्रति किसी प्रकार की अरुचि पैदा न हो, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में यह लिखा है और “एकांकी” का एक पात्र उसका प्रयोग कर रहा है। फिर ज़रा आप और आगे भी देखें, इसमें आप जिस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे और आज की नारी की महत्ता को स्थापित करने के लिए आपने “एकांकी” का जिक्र किया, उसमें यह बातया गया, आप ज़रा उसकी एक बात सुनिए, उसका एक पात्र कहता है

“खूबसूरती पर टैंक्स रामसरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मज़ाक नहीं साहब, यह ऐसा टैंक्स है, जनाब, कि देने वाले चूं भी न करेंगे, पर शर्त यह है कि हरेक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैंक्स स्वयं लगा ले और फिर देखिए कि सरकार की आमदनी कैसे बढ़ती है “

शायद इससे वित्त मंत्री जी को आपने यह रास्ता सुझाया है कि यह टैक्स लगा करके वह अपना रेविन्यू बढ़ा लें। यह क्या बात कही जा रही है? क्या बात पढ़ाई जा रही है? किस सन्दर्भ में यह पढ़ाया जा रहा है? इसके क्या अर्थ निकलते हैं? मैंने भी हिन्दी की पुस्तकें पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ी होंगी, एक साहित्यकार ने जो लिखा है, उसके लेख का सन्दर्भ अलग है, लेकिन इस देश का सन्दर्भ अलग है। क्या आप इस्मत चुकताई की अति प्रसिद्ध कहानी "लिहाफ़" पढ़ाएंगे? यह कहा जा सकता है कि वह कहानी बहुत अच्छी है, मैंने स्वयं उस कहानी को पढ़ा है, उस कहानी पर इस्मत चुकताई की बहुत सराहना हुई है, लेकिन आप या संभवतः कोई भी शिक्षा शास्त्री उसे आठवीं, नवीं, या दसवीं कक्षाओं में पढ़ाए जाने की सिफारिश नहीं करेगा। क्या आप बालज़ा की ड्रॉल स्टोरीज़ को इसलिए पढ़वाएंगे कि बालज़ा एक महान साहित्यकार था? क्या आप मुपासा की कहानियों को पढ़ाएंगे? सवाल यह है कि साहित्यकार जो लिखता है, साहित्य की दृष्टि से वह किसी पटल पर लिखता है और यह सही बात है, लेकिन वह पाठ्यक्रम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वह बिल्कुल अलग बात है।

मुंशी प्रेमचंद के साहित्य या पांडेय बेचैन शर्मा उग्र के साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए ये पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं। उनका मूल्यांकन जहां हो रहा है, वहां हो रहा है, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, उन पर शोध हो रहा है, जो शोधार्थी बड़ी क्लासों में उन्हें पढ़ेंगे, वह एक बिल्कुल भिन्न बात है, लेकिन आप जिस अवस्था के बच्चों को जो कुछ पढ़ाना चाहते हैं, वह बिल्कुल ठीक नहीं है।

ऐसी कई चीज़ें हैं जो काम शास्त्र में बहुत अद्भुत हैं और उन पर लोगों को बहुत पुरस्कार भी मिले हैं। क्या आप वात्स्यायन का सारा काम शास्त्र छठी, सातवीं, आठवीं या नवीं कक्षाओं में इस आधार पर पढ़ाएंगे कि वह दुनिया की सबसे उत्कृष्ट काम शास्त्र की पुस्तक है? सवाल यह नहीं है, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत अच्छे विचार भी हैं, लेकिन यह शब्द जिसका अभी-अभी उन्होंने प्रयोग किया, मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहता हूं कि "रामनामी दुपट्टा को देख कर"। वह जिस प्रवृत्ति से लिखा गया है, वह भारत की एक विशेष संस्कृति के ऊपर आघात है, वह उस संस्कृति के प्रति गहरे विरोध की भावना को प्रकट करता है। ऐसी बातें पढ़ाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। उससे बच्चों के अपरिपक्व मन में जो भाव पैदा होंगे, उन भावों के बारे में भी रवि शंकर जी ने बिल्कुल सही कहा है और वे भाव केवल उसी के लिए नहीं, बल्कि भारत की आस्थाओं के जो तमाम मान बिन्दु हैं, उनके प्रति प्रकट होंगे। आप स्वयं ब्राह्मणों के पांव छूते हैं, मैं इस बात को जानता हूं, आप बार-बार उनके पांव छूते हैं, हवन करवाते हैं, पाठ करवाते हैं और आप यह जानते हैं कि आपके मन में यह श्रद्धा है। क्यों हैं? क्योंकि आपने जो पाठ्यपुस्तक पढ़ी थी, उनमें ये बातें नहीं थी। हो सकता है कि किसी समय ब्राह्मणों में अघःपतन हुआ हो अथवा आगे भी यह हो सकता है, लेकिन यह अघःपतन हम बच्चों को पढ़ाएं, जब तक समाज में जाति व्यवस्था है, उनके मन में यह बात पैदा कर दें कि एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति हेय है, निकृष्ट है, जाट हेय है, निकृष्ट हैं अथवा गूजर हेय हैं, निकृष्ट हैं। हम बच्चों की मानसिकता को यह किस तरफ ले जा रहे हैं? इसीलिए हमने ये सारी बातें पाठ्यपुस्तकों से निकाल दी थीं। किसी धर्म, संस्कृति, जाति या भाषा के ऊपर पाठ्यपुस्तकों में कोई ऐसा भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, जिसमें छोटे एवं संवेदनशील बच्चों के मन में एक प्रकार का विरोधाभास पैदा हो और परस्पर शंकाओं मामला पैदा हो।

7.00 P.M.

इस पुस्तक के अन्दर मैं आपको और चीज़ें भी बता सकता हूँ, एक से एक ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत विचित्र हैं। आपने अभी मकबूल फिदा हुसैन के बारे में कहा कि वह बहुत बड़े कलाकार है, माना कि वह नग्न चित्र बहुत बनाते हैं, उनकी प्रदर्शनी होती है, वे चित्र खरीदे जाते हैं और लोग उन्हें अपने ड्राइंग रूप में भी लगाते हैं...

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, आप उन तमाम चित्रों के बारे में ऐसी बात बहुत बचपने के अंदर पैदा कर दें कि जो चित्र के कला वाले पक्ष को छोड़कर उसके दूसरे व्यसन एलीमेंट के पक्ष को सामने स्वीकार कर लें। बच्चे का मन बड़ा संवेदनशील है। लेकिन आप जरा बात सुनिए कि वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं आत्म कथा से। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने की साबुन की टिकिया लेने आया करती, चाचा को देखकर घूँघट के पट खुल जाते, और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मेहतरानी आ रही है, चाचा मकबूल की नाक पकड़ रही हैं, खिलखिला रही है और मकबूल साहब ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उस मेहतरानी के हाथ लग गया जिसे उसने फौरन अपनी चोली में डाल लिया, मकबूल ने पीपरमेंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकाल लिया।

अब यह कौन सी कलाकारिता की बात बता रहा है। इसमें मकबूल फिदा हुसैन के जीवन से बच्चा क्या सीखेगा? क्या संदेश आप उसे देना चाहते हैं, किधर उसका मन भाव ले जाना चाहते हैं। उसके एक संवेदनशील मन के अंदर आप क्या बतलाना चाहते हैं कि बच्चा क्या सीखे। पाठ्यपुस्तकें, बच्चे में कोई न कोई संस्कार, कोई न कोई ज्ञान देने की बात करती हैं, उसको कोई संदेश देती हैं, उसके विवेक करने की शक्ति प्रदान करती हैं। लेकिन आप इसमें क्या बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। ऐसे तमाम उद्धरण हैं। एक और बताना चाहता हूँ। अक्कमहादेवी के बारे में, शेरसादिका अक्कमहादेवी की कथा। अगर आप कश्मीर का साहित्य पढ़ें, उसमें इस अक्कमहादेवी का क्या स्थान है और वह केवल हिन्दुओं के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी, सूफियों के लिए भी प्रतिष्ठित महिला है। किस प्रकार से आप उसको कहते हैं और उसने क्यों कपड़े छोड़े थे, क्या उसका कारण था। जब तक आप उस अक्कमहादेवी की पूरी कथा नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। यह पता नहीं किस व्यक्ति ने क्या समझकर लिखा है और जो उसके बारे में कश्मीर के साहित्य में माना जाता है और कश्मीर के लोग आज भी जिस रूप में अक्कमहादेवी की पूजा करते हैं वे इससे कैसे प्रगट होता है। आप कहते हैं कि सबसे चौंकाने वाली और तिलमिला देने वाला तथ्य यह है कि अक्कमहादेवी ने सिर्फ राजमहल नहीं छोड़ा वहां से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों को भी उतार फेंका। वस्त्रों को उतार फेंकना केवल वस्त्रों को त्याग नहीं, बल्कि एकांगी मर्यादाओं और केवल स्त्रियों के लिए नियमित नियमों का तीखा विरोध था, यह भावना नहीं थी। जब उसने परम ब्रह्मा के सत्य को, स्वीकार किया और समझ गई, तब जैसे बहुत से तमाम हमारे इस देश में वीतराग हो जाते हैं, अनेक जैन साधु अपने वस्त्र उतार देते हैं। तो वे क्या इसलिए करते हैं कि वे किसी वर्चस्व का विरोध कर रहे हैं या वे अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहते हैं। वे जैन महापुरुष, वे जैन साधु वे एक साधना के अन्तर्गत, एक आध्यात्मिक अनुभव के बाद अपने आपको इस रूप में प्रकट करते हैं। उनके बीच में नर और नारी का कोई भेद नहीं रहता, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई ऐसा आवरण नहीं रहता कि

जिससे वे एक दूसरे से अलग समझते हों। यह एक महान अनुभूति है, यह भारतीय संस्कृति की ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Mr. Joshi, I don't want to disturb you. You are making very effective points. ...**(Interruptions)**... But I feel you have made your points. ...**(Interruptions)**... Sushmaji has also to speak. ...**(Interruptions)**... I do not know whether we can really discuss all this because clarifications have been made. You have made effective points. ...**(Interruptions)**... Mr. Bagrodia is also waiting for his turn. ...**(Interruptions)**... You have made very effective points, Mr. Joshi, and Sushmaji also would like to speak. So, I request you to kindly conclude. ...**(Interruptions)**...

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the listed Business should be taken up. ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): This is also part of the Business. ...**(Interruptions)**...

डा.मुरली मनोहर जोशी: मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सिख गुरुओं के बारे में में अरुचि और असत्य बातें पैदा करें। आप जाट समुदायों के बारे में करें, आप ब्राह्मणों के बारे में करें, आप जैनों के बारे में करें, आप समाज को कैसा बांटना चाहते हैं, आप समाज को एक रखना चाहते हैं ? मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जो इनकी पाठ्य शिक्षा समिति में हैं। और जब यह कहते हैं कि हमारे जमाने से किताबें चल रही थी, बिल्कुल गलत है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद् की टिप्पणी है उसमें लिखा है-नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2005, ये पुस्तकें हमने नहीं लिखाई हैं, ये आपने नई पुस्तकें पता नहीं कहाँ से इकट्ठी कर ली हैं, क्या कर लिया है, किन महापुरुषों को आप ले आए हैं सलाहकार बनाकर, जिन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास सजाम का "क", "ख", "ग" पता नहीं है, कैसे आपने उनको विद्वान मान लिया, क्या मान लिया उनको। विवादास्पद विषय देश में बहुत हैं और एक स्तर पर उन पर विवाद होता है, संसद में हम विवाद करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Mr. Joshi, I request you to kindly conclude. You have made all your points. ...**(Interruptions)**...

डा.मुरली मनोहर जोशी: उस दिन सदन में एक आम राय की थी कि इन सारी बातों को निकाला जाए और जिन लोगों ने इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया है, उन्हें दंडित किया जाए। मैं आज इस मांग को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप पाठ्य पुस्तकों में सुधार करें। ये गलत पुस्तकें हैं, ये गलत संस्कार हैं, ये देश का सर्वनाश करेंगी।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप बहुत ही सुलझे हुए और पुराने अनुभवी व्यक्तियों में से हैं। कृपया करके इसमें राजनीति नहीं लाएं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम इस पर विचार कर रहे हैं और देश की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। रवि

शंकर प्रसाद जी ने जो कुछ कहा है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इन पुस्तकों में उचित संशोधन करें, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, परम्परा से और भविष्य के साथ मेल खायें।

श्री मती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल लम्बा नहीं बोलूंगी, बहुत ही संक्षेप में केवल दो-तीन बातें कहना चाहूंगी। मैं शायद बोलती भी नहीं, अगर मंत्री जी मेरा नाम नहीं लेते। मैंने जो बातें नहीं भी कहीं थीं, वे भी उन्होंने मेरे मध्ये मढ़कर के यहां कहीं हैं, लेकिन चूंकि मैं उन तमाम बातों से संबद्ध करती हूँ, इसलिए मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई हूँ।

उपसभाध्यक्ष जी, जिस दिन मेरे सहयोगी श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने यह सवाल उठाया था, पता नहीं आप सदन में थे या नहीं। एक ऐसा दृश्य इस सदन में उपस्थित हो गया था, उसके बाद जब मुझे पता लगा कि मंत्री जी इसका जबाब देने आ रहे हैं, तो मन में एक इच्छा जाग्रत हुई, यह लगा कि जरूर मंत्री जी को सुनना चाहिए क्योंकि वह कोई समाधानकारक उत्तर देंगे। इस अपेक्षा से हम लोग साढ़े पांच बजे तक उनका इंतजार कर रहे थे कि जरूर कोई समाधानकारक उत्तर आज मानव संसाधन विकास मंत्री की तरफ से आयेगा। लेकिन सच कहती हूँ कि उनका उत्तर सुनकर दुख भी हुआ और अफसोस भी हुआ। लगता है कि जो उत्तर लिखा हुआ, उनको दे दिया गया, उन्होंने जिस का तस उसे पढ़ दिया। हम मंत्री जी, आपसे यह अपेक्षा कर रहे थे कि इन किताबों में जिन विषयों पर हमने आपत्तियां उठाई हैं, उन आपत्तियों को आप स्वयं पढ़ेंगे। मुझे आज भी लगता है कि अगर उत्तर पढ़ने के बजाय आपने उस किताब में से वे संदर्भ पढ़े होते, तो आपका स्वयं का खून खोलता। मैं जितना आपको जानती हूँ, मुझे आज भी लगता है कि इस उत्तर को आप एक तरफ रख दें और इन किताबों में से जो चीजें हम पढ़कर सुना रहे हैं, उनको आप पढ़ें, तो हमारी तरह आपका भी खून खोलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी आपत्तियां इन्होंने नहीं पढ़ी और एक गढ़ा हुआ उत्तर मंत्री जी ने पढ़ दिया। आपने अभी कहा कि मैंने मोचीराम कविता में रामनामी की बात कहीं थी, कहीं थी ना, यह कविता है- मोचीराम और आपने इस कविता का बहुत अभिनंदन ग्रंथ पढ़ दिया। इसे पता नहीं साहित्य अकादमी इनाम मिला है, यह कविता कहां-कहां लिखी गई है, कहां-कहां सम्मानित हुई है, मैं सदन में सामने यह प्रश्न उपस्थित करना चाहती हूँ कि क्या इस कविता की यह भाषा सम्मान के काबिल है? यह कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है, जिसमें कवि कह रहा है,

“बाबू जी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है?”

आप कहते हैं कि यह कविता भाषा का सौन्दर्य छिपाये हुए हैं, प्रभा जी, वहां पर बैठी है, बहुत से कवि हैं, उदय प्रताप जी यहां पर नहीं है, लेकिन बहुत लोग बैठे हैं, कविता के बारे में जानने वाले लोग बैठे हैं, थोड़ा-बहुत कविता के बारे में मैं भी जानती हूँ। इस कविता में न भाषा का सौन्दर्य है और न विषय वस्तु की पकड़। यह कविता अगर किसी एक चीज के लिए मानी जा सकती है, तो भाषा की कुरूपता और विषय वस्तु के फूहड़पन के लिए जानी जा सकती है और आप कहते हैं कि बड़े-बड़े समीक्षकों ने इस कविता को सम्मानित किया है। कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ियां, मुड़-मुड़ कर अपनों को दे। समीक्षक भी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं, जिस मानसिकता से यह लेखक और कवि ग्रसित हैं। इस सदन के अंदर कितने वैश्य समाज के लोग

बैठे हैं, जिनको हम प्रचलित भाषा में बनिया कहते हैं। प्रो. राम देव भंडारी जी बैठे हैं, इनके बहुत बड़े नेता प्रेम चन्द्र गुप्ता हैं, जो कि सम्मानित सदस्य मंत्रि परिषद के हैं। यह कविता, वही मोचीराम कहता हैं-

“चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी हैं, अरे यह तो कोई बनिया है,
या बिसाती है मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है।
रूमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है,
और सड़क पर आतियों-जातियों को, (आने-जाने वालियों को)
वानर की तरह घूरता है।”

यह बनिया संप्रदाय के लोगों के लिए लिखा है। ब्राह्मण के लिए जो कहानी आप कह रहे थे पांडे बैचन शर्मा उग्र की, वे यह कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में यदि ब्रह्मा राक्षस पैदा हो जाए, तो यजमानी प्रवृत्ति का कमीना धंधा करने लगते हैं-यजमानी प्रवृत्ति का कमीना धंधा।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): कृपया समाप्त करें। बहुत बातें आ गयी हैं, यह कोई विषय...(व्यवधान)...

श्री मती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): सर, यह बहुत गंभीर विषय है।...(व्यवधान)...

श्री जयंती लाल बरोट (गुजरात): यह बहुत गंभीर विषय है।...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): इसको मुस्लिम, इसाई विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे ?
...(व्यवधान)...

श्री मती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्री...(व्यवधान)...

DR. BARUN MUKHERJEE: There is Listed Business.
...(Interruptions).. Why is it published? ...interruptions)...

श्री मती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Sushma/, just one minute. I will address the issue. ...{Interruptions}... The issue is very sensitive. There could be two things - we all are experienced people -either the heat would be generated and the proceedings of the House could be adjourned. I am trying to give everybody a chance so that systematically we discuss things and then go to the next business, and that is the

purpose. I think, they are just concluding. If you can bear with that for another maybe ...(*Interruptions*)...

DR. BARUN MUKHERJEE: My humble question is, when the listed business is there ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I will answer that humble question. This is also a part of the business, which was. ...(*Interruptions*)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: आप सरकार से पूछिए...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी):पाणि साहब,प्लीज । I am handling it...(*Interruptions*)... Let me finish. ...(*Interruptions*)... The clarification by the hon. Minister was permitted by the hon. Chairman. So, that is also a part of the business. Since he also mentioned and referred to some names, I am also duty bound to give them a chance. Earlier I said that you will get your chance and after that if I don't give them a chance, heat will be generated. So, this is the answer of your question. This is a part of the business. Sushmay/ please carry on and kindly conclude.

श्री मती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष महोदय,जितनी देर में यह इंटरप्शन हुआ है,उतनी देर में तो मैं समाप्त कर देती,लेकिन अगर ये व्यवधान न करें,तब । महोदय,मैं कम से कम आपके प्रति इस बात का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि शालीनता से बहस तो हो रही है । अगर मंत्री जी समाधान कारक उत्तर दे देते तो हम बैठ जाते,हम दोबारा थोड़ा ही इस बहस को शुरू करते,क्योंकि इन्होंने इन तमाम चीजों को यह कह कर,कि हमने संदर्भ से काटकर बोला था,इनको उचित ठहराया है और इस नाते भी उचित ठहराया है कि लिखने वाले बहुत बड़े सम्मानित लेखक हैं । इसलिए हमें इन बातों को आपके सामने रखना पड़ रहा है । मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ गृह मंत्री जी बैठे हैं,जो नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं । हर दिन हमारे यहां जब इनका गृह मंत्री जी बैठे हैं,जो नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं । हर दिन हमारे यहां जब इनका सवाल होता है तो एक न एक प्रश्न नक्सलवाद पर आता है । यहां ये जिस"अवतार सिंह पाश" की बात कर रहे थे,"सबसे खतरनाक" कविता-उनके जीवन परिचय में लिखा है,1967 में पाश बंगाल के नक्सलवादी आन्दोलन से जुड़े और विद्रोही कविता को उन्होंने नया सौंदर्य प्रदान किया । लेकिन जो आपने कहा कि "गद्दारी लोभ की मुट्ठी" तो इसमें है ही नहीं,वह कविता का पार्ट नहीं है । मैंने आपसे कहा कि आप इनको पढ़ते । आपने उनका जवाब सुन लिया,यह कविता का पार्ट इस किताब में मैंने नहीं जोड़ा । इसकी आखिरी तीन लाइनें हैं:

मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती,
पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती,
गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती ।

यह किताब में जुड़ा हुआ है। अगर इन्होंने सही तथ्य रखे होते तो हम बिल्कुल नहीं बोलते। इन्होंने कहा कि यह किताब का हिस्सा नहीं है, जबकि यह किताब का हिस्सा है। मुझे बताइए, क्या आपका संविधान मेहनत की लूट की भी इजाजत देता है ? लूट किसी भी किस्म की हो, क्या नक्सलवादी आंदोलन को आप संविधान के अंदर का, संवैधानिक आंदोलन कहते हैं ? गृह मंत्री उस आन्दोलन से लड़ रहे हैं और आप 11वीं कक्षा को बता रहे हैं कि नक्सलवादी आन्दोलन कितना आदर्शवादी आन्दोलन था और उस नक्सलवादी आन्दोलन के व्यक्ति की कविता आप इसके अंदर लिख रहे हैं, "गदारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती।" महोदय, आखिरी बात कहकर मैं बैठना चाहूंगी। जो संदर्भ जोशी मीने पढ़ा मैं उस सदभ को नहीं महगी टोकन आपकी उस बात देना चाहूंगी कि कि मुंशी प्रेमचन्द तो पुराने थे, इसलिए उन्होंने भंगी, चमार-इन शब्दों का इस्तेमाल किया। उस समय के समाज में ये शब्द प्रचलित थे लेकिन आपने एस्टरिस्क मार्क्स लगाकर नीचे लिख दिया कि असंवैधानिक हैं। मकबूल फिदा हुसैन तो आज के हैं, अब तो संविधान हैं, अब तो "मेहतारानी" शब्द लिखने की इजाजत नहीं है। अमृता शेरगिल ने आत्मकथा लिखी नहीं, तब यह कौन-सा तरीका हुआ कि कल को कोई टेररिस्ट आत्मकथा लिख देगा और बाकी नहीं लिखेंगे तो आप इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि आपको कोई न कोई आत्मकथा लेनी है। आपने मकबूल फिदा हुसैन की जो आत्मकथा ली, उसमें जो संदर्भ हैं-मैंने तो कोई संदर्भ नहीं काटा। यहां तो कोई संदर्भ काटकर डा. जोशी ने नहीं पढ़ा-वे लिखते हैं कि "मेहतारानी" जनरल स्टोर के सामने से घूँघट निकालकर जाती थी, लेकिन जब घर में आती थी तो चाचा को देखकर घूँघट के पट खुल जाते थे।

आप क्या पढ़ा रहे हैं ? ये जितनी चीजे हैं, उसमें से एक थ्रेड है, कॉमन थ्रेड है, एक सांझा सूत्र हैं। उस पहली कक्षा के बच्चे को "छोकरी" शब्द पढ़ाने से लेकर "आतियों-जातियों को वानर की तरह घूरता है", इस तक एक सांझा धागा है, एक कॉमन थ्रेड है इस सबमें, जो विकृत मानसिकता को दर्शाता है। ये pervert लोगों की लिखी हुई किताबें हैं, ये संस्कृतिविहीन लोगों की लिखी हुई किताबें हैं, ये भारतीय संस्कृति को दूषित करने वाले लोगों की किताबें हैं, और जो मैंने कहा था कि अगर आप पढ़ते, तो आपका खून खौलाता, वह इसलिए कहा था, क्योंकि रामनवमी के दिन मुझे आपके घर से निमंत्रण आया था और मैं आपके घर गई थी। स्वामी अवधेशानन्द को आपने बुला रखा था और वहां राम संकीर्तन हो रहा था, वहां राम कथा हो रही थी। इसलिए मुझे कहीं न कहीं अंदर एक विश्वास जरूर था कि वोट बैंक की राजनीति चाहे जितनी ऊंची हो जाए, कहीं न कहीं आपके मन में बैठा हुआ वह राम का नाम, आपको यह किताबें पढ़ने के बाद आपको इन्हें बदलने पर मजबूर जरूर करेगा। वह राम नाम, क्योंकि मेरी आंख क आगे वह दृश्य था, जब आप उनके चरण छू रहे थे, मैं इधर बैठी थी और आपके सामने निवास-स्थान पर राम नाम का संकीर्तन सुन रही थी। मुझे नहीं लगता कि वह अर्जुन सिंह इस किताब को इजाजत देंगे, जो कहती है कि "राम-नामी को बेचकर या रेडियों की दलाली करके रोज़ो कमाने में कोई फर्क नहीं है और अगर जिंदा रहना है और उसके लिए कोई तर्क नहीं है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है।" इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहती हूं अर्जुन सिंह जी, इसका एक ही इलाज है। एक संसदीय समिति बना दीजिए, चाहे दोनों सदनों की, चाहे राज्य सभा की, हम तो अपनी कह सकते हैं-राज्य सभा की एक समिति बना दीजिए। सभी दलों के लोग ले लीजिए, कांग्रेस के ले लीजिए, वामपंथी ले लीजिए, समाजवादी ले लीजिए, आर.जे.डी. के ले लीजिए, हमारे ले लीजिए, अपनी संख्या ज्यादा रख लीजिए, लेकिन एक बार इन तमाम किताबों की समीक्षा करवा लीजिए, अपाकी आंखें खुल जाएंगी और तब इनका समाधान होगा। यह जो

आपको एक गढ़ा हुआ उत्तर लिखकर दिया है, इससे समाधान नहीं हुआ, आपका अपराध दोगुना हो गया है, धन्यवाद।

श्री मंगनी लाल मंडल(बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे दे दीजिए। हमारा भी नाम है।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): बागड़ोदिया जी, पांच बजे से इंतजार कर रहे हैं। उनको बोलने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, एक मिनट हमें दे दीजिए। बागड़ोदिया जी, आप भी इसी विषय पर बोलेंगे? ठीक है, बोल लीजिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया(राजस्थान): मैं एक मिनट इस पर भी बोलना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ सुना, यह पार्टी और नॉन-पार्टी का सवाल नहीं है। मेरी समझ में, मैं भी अनुरोध करूंगा कि इस बारे में मंत्री जी को विचार करना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, यह हमारी भावनाओं के साथ...(व्यवधान)...

श्री मती विल्लव ठाकुर(हिमाचल प्रदेश): महोदय, ये जो कविताएं हैं, अगर समाज के उस समय में ये लिखी गई हैं, satire हैं, लेकिन यह सोचने की बात है कि किस क्लास को पढ़ाया जा रहा है। उन कविताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि लिटरेचर के हिसाब से यह उनका...(व्यवधान) पर किस क्लास को पढ़ाया जा रहा है, यह देखने की बात है, उस पर सोचा जाए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई ज़िद की बात भी नहीं है। चाहे वे कमेटी बनाएं या न बनाएं, क्या प्रोसेस लें, लेकिन इसके बारे में एक बार विचार करें और जब भी next time हाऊस हो, इसके बारे में विचार करके हमें बताएं। (समाप्त)

श्री मती सुषमा स्वराज: तब तक समाधान होना चाहिए। सर, समिति बनवाइए।

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, यह विषय राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र के चरित्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सी.पी.एम. का सवाल नहीं है, आर.जे.डी. का सवाल नहीं है। हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बंधु को क्या एतराज़ है, मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन दो-तीन बातें कहकर मैं बैठना चाहूंगा।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल: माननीय शिक्षा मंत्री को मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन जब से वे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तब से मैं जानता हूँ- देश के जाने-माने राजनीतिज्ञ हैं और कर्मपुरुष के रूप में मैं उन्हें जानता हूँ। वैचारिक पुरुष के रूप में जानता हूँ कि उनके कर्म के द्वारा इस देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बड़ा भूचाल आया था। मैं समझता हूँ कि वे इस देश के जाने-माने ही नहीं, प्रतिष्ठित नेता हैं। जो विषय आया है, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कई धाराएं थी। महात्मा गांधी ने जिसको गुरु कहा था,

गोखले साहब की एक धारा थी, भगत सिंह की एक धारा थी, लोकमान्य तिलक, सुभाष बाबू की एक धारा थी, लेकिन अति राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी जिसका उच्चारण स्वयं माननीय मंत्री जी ने किया, वह तो चल सकता था। लेकिन "आतंकवादी राष्ट्रवादी" मैं पहली बार सुन रहा हूँ। "सलाउद्दीन को हम "आतंकवादी" कहते हैं, लेकिन मुशर्रफ़ कहता है कि वह स्वतंत्रता सेनानी हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहेगा कि सलाउद्दीन "आतंकवादी" नहीं है, वह तो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, हम तो इसको स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, हम फिर भारत को क्यों प्रत्यार्पण करें?" अब हम कह रहे हैं कि ये अर्थात् श्री तिलक "आतंकवादी राष्ट्रवादी" थे, तो जिन नौनिहालों को हम शिक्षा देना चाहते हैं, वे सलाउद्दीन में और तिलक में क्या judge करेंगे कि मुशर्रफ़ सही है या हम सही हैं?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कवि संदर्भ की व्याख्या करते हैं, सामयिक परिस्थिति का, इतिहास का और जो सामाजिक-आर्थिक संरचना होती है, उसमें जैसी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के कई पक्षों का बखाना वे करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के प्रतिकूल हो, उसको हम पाठ्यक्रम में शामिल करें। आने वाले पीढ़ी जब वह परिपक्व होगी, तो अपने आप उससे अवगत हो जाएगी। इसलिए मैं सुषमा जी से सहमत हूँ और मैंने पहले भी कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। मैं एक बात मानता हूँ कि डा. राम मनोहर लोहिया ने हमें बताया था कि जिस तरह भाषा के मामले में, राष्ट्र के मामले में भारतीय जनसंघ क्रांतिकारी है, यानी आज की भारतीय जनता पार्टी, जो आज अंग्रेजी ज्यादा बोलती है, तो वही दूसरी और आर्थिक नीति के मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी हैं, दोनों को परखिए आप।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के मामले में, राष्ट्र के चरित्र के मामले में, राष्ट्र के संदर्भ के मामले में और नौनिहालों को एक अच्छे नागरिक बनाने के मामले में जो चिंतन, राष्ट्रीय अवधारणा पर आधारित होगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। इसलिए इसकी समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति बननी चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जब इस देश के लोकतंत्र का, शासन व्यवस्था का, सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक न्याय का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें डा. लोहिया, डा. अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर के साथ, आपका भी नाम होगा, यह बात आप विशेष रूप से समझिए। शिक्षा के मामले में आपके चरित्र पर, राजनीतिक चरित्र पर आने वाली पीढ़ी कहीं कोई अंगूली न उठाए कि आपके नेतृत्व में कोई ऐसी स्थिति आई थी, जिससे हमने शिक्षा नहीं दी, बल्कि एक अप-संस्कृति का निर्माण करने के लिए हमने बालकों को शिक्षा दी है, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर एक संसदीय समिति होनी चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I think, this particular issue, which was very sensitive was handled very maturely by all the hon. Members of Parliament. I am thankful to them. Mr. Chatterjee, you want to join in this. ... (Interruptions)...

श्री मती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष महोदय, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसमें पीठासीन अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, NCERT के अधिकारी लोग सांसदों के व्यक्तित्व के खिलाफ ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): वह हो गया, पाणि साहब, वह हो गया, प्लीज बैठिए ... (व्यवधान) ...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, when this issue was earlier pointed out here, all the parties wanted that the Minister should make a statement because the issues referred to are very serious in nature. Sir, as a student of history, you know that during the Independence Movement, the British Imperialists were referring to many of the freedom fighters as conspirators, as traitors. We know that British called them likewise. Even one of the founder of the Communist Movement, Shri Muzaffar Ahmed, was treated like that by the British Imperialists, and, also, Subhash Chandra Bose and many others freedom fighters. If that term continues in the text Books even today, that is very serious in nature. We could not follow the Minister because he has not circulated the long statement. We are waiting for this discussion on Subhash Chandra Bose ... (Interruptions) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): We will have that.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Now we had a long discussion. Our opinion is that this should be thoroughly investigated and enquired by the experts educationists and, I think, the hon. Minister will definitely agree to it. One point is that we should always keep in mind that a particular subject is being taught in which class that is very important.

That is also a very serious point which should be noted. The Minister is here, and, I think, it should be investigated further on the basis of the statement and reference made here. This is my submission. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Mr. Minister, do you want to add anything?

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सर, मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): अब हो गया।

श्री अर्जुन सिंह: सर, उनको भी कह ही लेने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र भाटिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मंडल जी ने जो कहा है, मैं उससे अक्षरशः सहमत हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अर्जुन सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपनी-अपनी बात कहीं, मैं उसका सम्मान करता हूँ। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावी ढंग से उसका यहां उल्लेख किया है। संदर्भ की बात मैंने इसलिए कही, क्योंकि शब्दों का अर्थ संदर्भ से ही बदलता है। यह कोई पहली बार हम लोगों ने नहीं देखा है। अब तिलक जी का, अरविन्द जी का, विपिन पाल जी का हमारे राष्ट्रीय इतिहास में जो योगदान है, वह योगदान, जब हम लोग पढ़ते थे, उस समय भी एक भाषा में यही कहा जाता था कि ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): आप ज़रा सुन लीजिए।

श्री अर्जुन सिंह: कि वे उग्रवादी विचारधारा के प्रतीक थे ...**(व्यवधान)**... उग्र राष्ट्रवादी ...**(व्यवधान)**... स्वतंत्रता संग्राम तो राष्ट्रवाद की ही परिभाषा है ...**(व्यवधान)**... संदर्भ की बात मैंने इसलिए कही है। जहां तक साहित्यकारों का प्रश्न है, जिनके बारे में जोशी जी ने और श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बड़े मार्मिक ढंग से यहां पर उल्लेख किया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि साहित्यकार अपनी ही परिकल्पना में रचना करता है और वह अपनी ही परिकल्पना में जो रचना करता है, उसे ही समाज को उस रूप में देखना चाहिए। अगर हम उस रूप में नहीं देख सकते हैं या उसकी परिकल्पना इतने निम्न स्तर की है, तो फिर अपने आप उसको समाज तय करेगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी बहुत सी पाठ्य पुस्तकें निर्मित हो रही हैं। इसलिए आपके यह सब जो विचार हैं, उसमें निश्चित रूप से ध्यान में रख कर आ जाएं। ...**(व्यवधान)**... इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ, जो उन्होंने विचार व्यक्त किए।

श्री एस.एस.अहलुवालिया(झारखंड): अब तो हरिजन एक्ट पास हो गया, आप किसी को भंगी कह सकते हैं क्या? आप भंगी पढ़ा रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): बहुत शलीनता से इस पर डिस्कशन हुआ है। मैं आपसे विनती करूंगा कि ...**(व्यवधान)**... अहलुवालिया जी...**(व्यवधान)**... वे वही कह रहे हैं, वे मान रहे हैं...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस.अहलुवालिया: हरिजन एक्ट में यह बन्द हो गया है ...**(व्यवधान)**...

श्री अर्जुन सिंह: आप मुंशी प्रेमचन्द्र जी को बन्दी करके बन्द कर दीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस.अहलुवालिया: बन्द तो आपको कराना है ...**(व्यवधान)**... आपने ऐसे लोगों को रखा क्यों ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): अहलुवालिया जी, एक मिनट। मंत्री जी, इसमें बात यह है, हालांकि मुझे इसमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विषय यह है कि बहुत सारी आर्ट फिल्में भी बनती हैं, जो बच्चे नहीं देखते हैं, इसलिए सेंसरशिप उसे "ए" सर्टिफिकेट देता है कि आप किस अवस्था में इसको देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यही सवाल उठाया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अर्जुन सिंह: श्रीमन्, मैं इसे देखूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Thank you very much. Now, we will have Mr. Santosh Bagrodia. ... *interruptions*... उन्होंने यह कहा कि इस पर विचार करेंगे, देखेंगे ...(व्यवधान)...वे करेंगे न ...(व्यवधान)...इससे ज्यादा वे क्या कह सकते हैं ...(व्यवधान)...इससे ज्यादा नहीं कह सकते ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: एक समिति तो बनवाइए मंत्री जी? ...(व्यवधान)...आप एक समिति की घोषणा कीजिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मंत्री जी ने बोला है, वह विचार करेंगे। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): मंत्री जी ने अगर आश्वासन दिया है कि वह ...(व्यवधान)...यह आश्वासन देना अपने आप में बड़ी बात होती है। ...(व्यवधान)...बागड़ोदिया जी, Please, start the Half-an-hour Discussion...(Interruptions)...बागड़ोदिया जी, please, start the Half-an-hour Discussion. I thank all hon. Members. ...*(Interruptions)*...

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): डा. जोशी, अब यह मामला खत्म हो गया।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा कब होगी ?

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): इसके बाद।

डा. मुरली मनोहर जोशी: इस पर कितना समय लगाएंगे ?

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): आधा घंटा।

डा. मुरली मनोहर जोशी: बागड़ोदिया जी, बड़ी कृपा करेंगे, अगर आप इसे जल्दी समाप्त कर दें।

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): वह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं मानता हूँ।

श्री संतोष बागड़ोदिया: आप क्या चाहते हैं, मैं न बोलूँ ?

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आप से यह निवेदन कर रहा हूँ कि आप ने बहुत शांति और संतोष के साथ 5 बजे से साढ़े 7 तक इंतजार किया। मेरा यह निवेदन है कि आप का जो कुछ भी निवेदन है, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उस को अगर आप आधे घंटे में ही समाप्त कर देंगे तो हम दूसरे महत्वपूर्ण कार्य को भी पूरा कर लेंगे। यह मेरा आप से निवेदन है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: आप का हुक्म मानकर, वहीं करेंगे और आप जितने बोले हैं, उस से कम बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): ऐसा है, एक बार ट्रेन लेट हो जाती है तो वह लेट चलती रहती है। मगर हम लेट नहीं करेंगे, आप चालू कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में इस को समाप्त कर दें।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: आधे घंटे में समाप्त कर लेंगे ?

उपसभाध्यक्ष(श्री दिनेश त्रिवेदी): कर लेंगे, Please, start now. (Interruptions) बागड़ोदिया साहब, आप चालू कीजिए। संतोष बागड़ोदिया साहब प्लीज डिबेट चालू कीजिए।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of answers given in Rajya Sabha on 10* August, 2006 to Starred Questions No.242 and 249 Regarding 'Discrimination Against Indians in British Jails' and 'Negotiations for release of Indians in British Jails.'

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, finally, I am able to raise this discussion on discrimination against Indians in different jails all over the world. Sir, as per the information provided by the Government, currently, Indian prisoners are interned in 42 jails all over the world. Sir, in Europe and America, Indian prisoners are detained for the charges relating to immigration laws or serious crimes like murder or narco trade. In Germany, the local authorities do not provide information about murder and crime.

Now, in different countries, the Ambassadors or the Embassies or the High Commission offices, they do not bother even about ordinary citizens who are visitors from India to those countries. They do not bother about the NRIs. If they do not bother about them, how will they bother about these prisoners? This is the lowest priority. I would request the hon. Minister to please look into this aspect. They are also human beings. I am not saying that they will change the law. Different countries have different laws. Let them follow their laws. Those who are criminals, they should be punished. I have nothing against them. My only submission is that, at least, we should have statistics. We have computers now. One cannot say that he does not know this information or that information. Maybe he does not have the information today, but the information should be collected and this should be kept all the time.' How many prisoners are there in different jails; what kind of crimes have they committed; for how long are they under-trials; do they need any kind of help, so that they may not remain under-trial for life? These are the things. How many women are there? Children may have been also in jails for different crimes, whether small or big. We should